आज दिनांक 01.06.2013 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुवर्द्धन जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानसुार सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गयाः–

उपस्थितिः–

1.	श्री सुवर्द्धन, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,	अध्यक्ष
2	श्री आर0मीनाक्षी सुन्दरम, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष,
3	श्री बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम, जिलाधिकारी	सदस्य
4	श्री हर्षवर्धन मिश्रा, अपर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, देहरादून	सदस्य
5.	श्री एस0के0पन्त, वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
6.	अधीक्षण अभियंता,जलनिगम,देहरादून	सदस्य

अन्य उपस्थितिः–

1. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
2. मुख्य लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
3. अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
4. नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण की 83 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयीः–

विषय कमांक 1 :– प्राधिकरण में तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में विकास शुल्क एवं बैंक गारण्टी लिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। तलपट मानचित्रों की स्वीकृति हेतु विकास शुल्क एवं बैंक गारन्टी लिये जाने सम्बन्धी प्राधिकरण के प्रस्ताव पर सर्व सम्मतिसे सैद्वान्तिक सहमति प्रदान करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि अन्य विकास प्राधिकरणों जैसे मेरठ, गाजियाबाद एव नोएडा में जारी व्यवस्था का अध्ययन एक समिति द्वारा कर लिया जाये जिसमें मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं प्राधिकरण के नगर नियोजक व अधिशासी अभियंता होंगे। उक्त समिति द्वारा अध्ययन कर प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 2 :– मौजा– ढाकपटटी (राजपुर) में गैर जमीदारी विनाश क्षेत्र (नॉन जेड0 ए0) खसरा नम्बर 470/2 मिन0 रकबा 5.0830 है0 भूमि को आपसी सहमति से कय किये जाने हेतु स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी प्रस्ताव पर सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रश्नगत भूमि के मूल्य का कोई भी भुगतान तभी किया जाये जब प्रश्नगत स्थल का महायोजना में आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन हो जाये इसके अतिरिक्त जिन विभागो से अनापत्ति प्राप्त किये जाने है जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम एवं प्रस्तावित निजी भूमि का सीमांकन तथा मृदा परीक्षण आदि। उनके सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही कर ली जाये।

विषय कमांक 3 :– मानचित्र संख्या सी–0039/11–12 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1006 एवं 107 मौजा पौधा में हॉस्टल बिल्डिंग के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त इस बिन्दु पर मत स्थिर हुआ कि प्रकरण वर्तमान भवन उपविधि के मानको के अनुसार है अतएव नियमानुसार स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

विषय कमांक 4 :— मानचित्र संख्या एस0—0086/2012—2013 स्थल 11ए0 कालीदास रोड पर श्रीमति वीना बब्बर,श्रीमति विभूति बब्बर ,श्री श्याम बब्बर एवं श्री एम0 सी0 बब्बर द्वारा हॉस्टल के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त इस बिन्दु पर मत स्थिर हुआ कि प्रकरण वर्तमान भवन उपविधि के मानको के अनुसार है अतएव नियमानुसार स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

विषय कमांक 5 :—प्रस्तावित मानचित्र पत्रावली संख्या सी—0175/12—13 श्री भारत भूषण गुप्ता, श्री श्री भूषण, श्रीमती उषा गुप्ता एंव श्री ए0 पी0 अग्रवाल द्वारा खसरा नम्बर 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 351 मौजा बगराल वाला परगना पछवादून देहरादून पर हास्टल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त इस बिन्दु पर मत स्थिर हुआ कि प्रकरण वर्तमान भवन उपविधि के मानको के अनुसार है अतएव नियमानुसार स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

विषय कमांक 6 :— मानचित्र पत्रावली संख्या सी—0003/10—11 श्री सुखपाल सिंह द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1110, 1111,1112,1115 एवं 116 स्थित मौजा मोथरोवाला पर श्री सुखपाल सिंह द्वारा वैडिंग प्वाइंट निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त इस बिन्दु पर मत स्थिर हुआ कि प्रकरण वर्तमान भवन उपविधि के मानको के अनुसार है अतएव नियमानुसार स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

विषय कमांक 7 :— मानचित्र पत्रावली संख्या सी—0060/12—13 श्री संजीव दुआ पुत्र श्री के0एल0दुआ एवं श्रीमती टीना दुआ पत्नी श्री संजीव दुआ द्वारा भूमि खसरा नम्बर 308,309,310 मौजा अधोईवाला में क्षेत्रफल 2700 वर्गमीटर पर व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त इस बिन्दु पर मत स्थिर हुआ कि प्रकरण वर्तमान भवन उपविधि के मानको के अनुसार है अतएव नियमानुसार स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,